राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज – II : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in 5

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1412 / 2015 / 12563 दिनांकः 03.11.2015

श्रीमती कमला,
139–बी, सावित्री नगर,
मालवीय नगर,
नई दिल्ली–110017.

संयुक्त निदेशक (राजस्व)द0 / द0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्रीमती कमला के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 29–06–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 03.11.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्रीमती कमला उपस्थित हुई एवं श्री राम निवास, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)–I, साकेत, श्री नरेश कपूर, पी0पी0पी0 डेलिगेट मालगीय नगर वाटर सर्विसिज़ जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 11.05.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 29.06.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दिया है किन्तु अपीलकर्ता ने कहा कि उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। सहायक जनसूचना अधिकारीं को निर्देश दिया जाता है कि दिए गए जवाब की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को अभी प्रदान की जाए एवं इस आदेश के पारित होने के दस दिन के अन्दर अपीलकर्ता की शिकायत को नियमानुसार दूर करने का प्रयास किया जाए ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमती कमला, 139–बी, सावित्री नगर, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) द0 / द0प0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)– I, साकेत
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर